समाहरणालय, मधुबनी।
(जिला योजना कार्यालय)

पत्रांकः– ______/जि0यो0।

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

मधुबनी, दिनांक..............वीं अप्रैल, 2016 ई0।

विषयः– **जिला योजना कार्यालय, मधुबनी के विज्ञापन प्रकाशित कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबध में कहना है कि जिला योजना कार्यालय, मधुबनी का विज्ञापन एवं सी0डी0 राष्ट्रीय मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय। इस पत्र के साथ पॉच प्रतियों में विज्ञापन की हार्ड कॉपी एवं एक प्रति सी0डी0 संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाता है।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि निर्धारित समय सीमा के पहले ससमय विज्ञापन प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनु0 – (1) पॉच प्रतियों में हार्ड कॉपी।
(2) एक प्रति सी0डी0 संलग्न।

विश्वासभाजन,

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

ज्ञापांक : 465/जि0यो0, मधुबनी, दिनांक : 2/5/2016 ई0।

प्रतिलिपि :– जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, जनसम्पर्क विभाग, मधुबनी को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, (NIC) मधुबनी को सूचनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विज्ञापन को मधुबनी की बेवसाईट पर जारी करने की कृपा की जाय।

20/4/16

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

समाहरणालय, मधुबनी।
(जिला योजना कार्यालय)
-: निविदा आमंत्रण सूचना :-

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 की वार्षिक कार्य योजना के तहत अनुमोदित योजना खेल-कूद सामग्री के आलोक में मधुबनी जिला अंतर्गत सीमावर्त्ती सात प्रखंडों यथा (मधवापुर, हरलाखी, बासोपट्टी, जयनगर, लदनियाँ, लौकही एवं खुटौना) में पड़ने वाले कुल 21 (इक्कीस) हाई स्कूल में खेल-कूद सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक : 24/5/16 को अपराह्ण 01:00 बजे तक निबंधित प्रतिष्ठानों/विक्रेताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं से मुहरबंद लिफाफा में निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा को दिनांक : 24/5/16 को ही अपराह्ण 03:00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जाएगा, जिसमें निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। खेल-कूद सामग्री एवं हाई स्कूल की विस्तृत सूची जिला योजना कार्यालय, मधुबनी से किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक : 24/5/16 को अपराह्ण 01:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है तथा PRD and Madhubani जिला के बेवसाईट पर भी देखा जा सकता है।

(क) तकनीकी निविदा की शर्ते :-

1. तकनीकी निविदा में 1,00,000/- (एक लाख) रुपया मात्र का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो जिला योजना पदाधिकारी, मधुबनी के पदनाम से देय एवं मधुबनी में भुगतेय हो, संलग्न रहना चाहिए।
2. निविदादाता को आयकर, वाणिज्यकर से निबंधित होना अनिवार्य है।
3. निविदादाता को विगत दो वर्षो का आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाता को अंकेक्षित बैलेंस सिट विगत दो वर्षो का जिसमें प्रति वर्ष Turn over मो0 50,00,000. 00 (पचास लाख) रूपये का होना अनिवार्य है।
5. फर्म के नाम पर गुणवत्ता के लिए ISO प्रमाण पत्र होना चाहिए।
6. सरकारी विद्यालयों में खेल-कूद सामग्रियों की आपूर्ति का अनुभव प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र देना होगा।
8. निविदादाता को इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्ते मान्य है।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्ते -

9. वित्तीय निविदा में उपलब्ध सूची के अनुसार सामग्री का नाम एवं प्रति इकाई दर सभी कर सहित देना होगा।

(ग) सामान्य शर्ते -

10. जिला योजना कार्यालय, मधुबनी में मुहरबंद निविदाएँ निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त किया जाएगा।
11. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में होना चाहिए।
12. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
13. स्वीकृत आपूर्तिकर्त्ता को विपत्रों पर नियमानुसार स्त्रोत पर निर्धारित कर कटौती के बाद ही विपत्र का भुगतान किया जाएगा।
14. सभी सामग्रियों की आपूर्ति संबंधित हाई स्कूल द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।
15. सामग्रियों की आपूर्ति हेतु किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
16. आपूर्त्ति की जानेवाली सभी सामग्री I.S.I. मार्का का होना अनिवार्य है।

17. कार्यादेश के अनुरूप सभी सामग्रियों की आपूर्ति निर्धारित समय सीमा के अंदर चिन्हित हाई स्कूल में करना होगा, जिसका उक्त स्थल तक का भाड़ा एजेंसी द्वारा देय होगी। अन्यथा संबंधित फर्म की राशि जब्त कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
18. वैट की कटौती नियमानुसार की जाएगी।
19. एकरारनामा के साथ Performance Security Deposit (एकरारनामा की राशि का 05 प्रतिशत) बैंक गारंटी/NSC जिला योजना पदाधिकारी, मधुबनी के पदनाम से प्लेज किया हुआ जमा करना होगा। जिसकी बैधता 180 दिनो की अवधि तक रहनी चाहिए। Security Money की वापसी कार्य समाप्ति के पश्चात की जायेगी।
20. विवाद की स्थिति में न्यायलय, मधुबनी का क्षेत्राधिकार लागू होगा।
21. बिना कारण बताए निविदा को स्वीकृत/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
22. किसी विवाद के स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

(घ) अन्य शर्तें –

1. सामग्री की आपूर्ति के क्रय में सामग्री के परिवहन में हुई किसी प्रकार की क्षति के लिए दावा मान्य नहीं होगा।

30/4/16
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।